न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला जालोर

(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमानंम्बरः– 02/2015

प्रार्थी
छोगसिंह पुत्र भीमा
जाति राजपुत निवासी
जोधावास तहसील
चितलवाना

बनाम

अप्रार्थीगण
1. रगा पुत्र वदा जाति कलबी निवासी जोधावास तहसील चितलवाना।
2. व्यवस्थापक एस.बी.आई. शाखा देवड़ा
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना।
4. विजयराजसिंह पुत्र डूंगरसिंह
5. मोड़सिंह पुत्र डूंगरसिंह, जातियान राजुपत
निवासी जोधावास, तहसील चितलवाना।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा251ए, आर.टी. आर. एक्ट 1955

उपस्थितः:–
1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 श्री बाबूलाल पालड़िया एंव प्रकाश पालड़िया।
3. अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 एक पक्षीय।
4. अप्राथी संख्या 3 की ओर राज पेरोकार नायब तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

दिनांक 31-05-2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा जोधावास पटवार हल्का अणखोल के खसरा संख्या 87 रकबा 4.07 हैक्टर आवागमन का रास्ता उपलब्ध नही होने तथा उक्त खसरा के लिए पारस्परिक सहमति से रास्ता तय नही होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' में उपखण्ड अधिकारी सांचोर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खसरा संख्या के लिए रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता होने से मौजा जोधावास के खसरा संख्या 86 रकबा 3.69 मे से 0.04 हैक्टर चौड़ाई में 12 फुट भूमि रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी सांचोर द्वारा प्रकरण संख्या 21/2012 दर्ज कर प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2013 को निस्तारित करते हुए खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 22.10.2013 के विरूद्व माननीय अपीलय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली [illegible] के समक्ष पेश की जिसको अपील संख्या 38/2013 दिनांक 30.12.2014 [illegible] रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त कर पत्रावली [illegible] अधीनस्थ न्यायालय को पुनः इस निर्देश के साथ प्रस्तुत की। दोनो पक्षो को [illegible] सुनवाई का उचित [illegible] समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध त्थतावेणी व मौखिक साक्ष्य का पूर्णतया विवेचन करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने का दिनांक 30.12. 2014 को निर्णय पारित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 17:51:31 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 30.12.2014 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर के नवीन मुकदमा संख्या 02/2015 दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड न्यायालय चितलवाना का नवसृजन होने तथा क्षेत्राधिकार उपखण्ड न्यायालय चितलवाना होने से पत्रावली इस न्यायालय को हस्तान्तरित हुई जो इस न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 12.02.2016 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

प्रार्थी ने पुनः इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.02.2016 के विरूद्व माननीय अपीलय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर के समक्ष अपील पेश की गई जो 16.12.2014 दर्ज की जाकर दिनांक 25.03.2019 को इस निर्देश के साथ पुनः इस न्यायालय को प्रेषित की गई कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करे।

पत्रावली पुनः प्राप्त हाने पर पत्रावली नम्बर पर लेकर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये, पक्षकारान को एवं पक्षकारान के वकीलो को पुनः सुना गया। प्रार्थी के वकील ने बह समे बताया कि दिनाक 01.12.2015 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सांचोर ने स्वयं मौका देखा था जिसकी मौका फर्द शामील पत्रावली है। जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 87 में जाने हेतु एक वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 88 से भी है। खसरा संख्या 88 के खातेदार को पक्षकार बनाकर तहसीलदार चितलवाना से दोनो पक्षो की मौजुदगी में मौका देखकर मौका रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार चितलवाना ने दोनो पक्षो की उपस्थिति में मौका देखकर मौका रिपोर्ट दिनांक 28.12.2020 को इस न्यायालय में पेश की जिस पर अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर कर पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका जवाब प्रार्थी वकील ने दिया। पुनः मौका रिपोर्ट तलब के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने का प्रार्थना पत्र खारीज किया गया।

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया गया, मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2020 जो रूबरू मौतबरान तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 86 मे से जो जगह रास्ता के विकल्प मौजूद है–

(1) खसरा संख्या 86 व 88 की मध्य माठ पर जहा एक ओर खसरा संख्या 88 मे मकान बेरा आदि निर्मित है अतः खसरा संख्या 88 में से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नहीं है, खसरा संख्या 86 मे भूमि मौके पर खाली है, जिसमे खसरा संख्या 87 के लिए सड़क से रास्ता की लम्बाई लगभग 70 मीटर होती है।

(2) खसरा संख्या 86 के प[illegible] से खसरा संख्या 87 की दूरी लगभग 64 मीटर है। जिस पर एक कच्ची [illegible]मेंट चद्दर की बनी हुई है जिसमे कोई रहवास नही है तथा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 17:51:31 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार खसरा [illegible] का विकल्प खसरा संख्या 86 में स्थित सड़क के अलावा कोई अन्य रास्ता [illegible]र्थी के खेत के नजदीक नही है। खसरा संख्या 86 में भी पश्चिम माठ की दूरी न्युनतम होने स्वीकृत किया जाना उचित होने से रास्ते की भूमि में अप्रार्थी की कच्ची ओरड़ी जो सिमेंट चद्दर की निर्मित है का नियमानुसार डी एल सी दर का दो गुणा प्रतिकर के साथ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

अधिकारी–चितलवाना
जालोर (राज.)

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जोधावास पटवार हल्का अणखोल के खेत खसरा नम्बर 86 रकबा 3.69 हैक्टर में से 64 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के प्रस्ताव अनुसार व संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये बिन्दु संख्या 'ए' से 'बी' अनुसार उक्त रास्ता भूमि को समाविष्ट करने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित मानते हुए राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप मे अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस रास्ता भूमि के प्रार्थी को रास्ते की सुविधा के अलावा अन्य अधिकार अर्जित नही रहेगें। तथा अप्रार्थीगण उक्त रास्ता स्थान की भूमि पर किसी प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करे व न करावें। तथा वर्तमान डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि प्रार्थी अप्रार्थी को जरिये डी.डी. के नियमानुसार भुगतान करे। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो, पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(हनुमाना राम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 31-05-2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना जिला–जालोर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 17:51:31 IST
Reason: SelfAttested